संख्या 1160 /XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव।
उत्तरांचल शासन

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

3. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 11 मई, 2005

विषयः लम्बित जॉच के प्रकरणों में जॉचोपरान्त दी जाने वाली सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि को सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र–पंजिका में रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय पर शासन को अक्सर सन्दर्भ प्रस्तुत होते रहते हैं जिनमें यह जिज्ञासा की जाती है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता प्रकाश में आये अथवा लम्बित जॉच में जॉचोपरान्त सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दी जाय, तो उसे कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र–पंजिका में उसी वर्ष में अंकित किया जाये जिस वर्ष में अनियमितता पाई गई अथवा उस वर्ष में अंकित की जाय जिस वर्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

2. शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकरणों पर जिनमें जॉचोपरान्त सेन्सर या निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, वह प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र–पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जाय जिस वर्ष ऐसी कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाय कि प्रकरण सम्बन्धित सेवक के सेवाकाल के किस पद व वर्ष से सम्बन्धित रहा है और पाई गई त्रुटि किस प्रकृति की रही है जिससे चरित्र–पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गई प्रविष्टि के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके।

3. कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।